न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक—————/2012 पुनरीक्षण

1 दयाराम पुत्र झल्लू कुर्मी

2 भवानीदीन पुत्र बिन्दा कुर्मी

3 छोटेलाल पुत्र बिन्दा कुर्मी

4 मातादीन पुत्रगण जगन्नाथ कुर्मी

5 देवीदीन पुत्रगण जगन्नाथ कुर्मी

6 शारदा तनय जगन्नाथ कुर्मी

निवासीगण ग्राम ठकुराइनपुरवा

तहसील—गौरी घर जिला—छत्तरपुर

विरूद्ध

1 सरजू पुत्र लक्ष्मण पटेल

2 बद्री पुत्र मंगी कुर्मी

3 गोपाल तनय मंगी कुर्मी (मृत) द्वारा

उत्तराधिकारी रामनारायण तनय गोपाल कुर्मी

समस्त निवासीगण ग्राम—ठकुराइनपुरवा तहसील

गौरी घर जिला—छत्तरपुर

अपर कलेक्टर जिला छत्तरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 214/2008—09 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 26—6—2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा—50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है—

1. यह कि अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अभिलेख से विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि अपरे कलेक्टर के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं था आवेदकों द्वारा पुनरीक्षण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2461-दो/2012 | जिला-छतरपुर

दयाराम आदि विरूद्ध सरजू आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 214/2008-09/पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 26-06-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-08-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	
09/01/19		

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/2019
सदस्य